

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैँतीस हजार रु0) मात्र का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक- 225, दिनांक- 29.01.2019 द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने के लिए EVM की जाँच, तकनीकी सहायता, तथा कार्यालय से संबंधित कार्यों पर हुए व्यय संबंधी विपत्रों के भुगतान हेतु कुल ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैँतीस हजार रु0) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं0-128 दिनांक-13/01/19 के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित कार्यों हेतु स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैँतीस हजार रु0) मात्र निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

क्र0सं0	कार्य	अधियाचित राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	ई0वी0एम0 जाँच एवं तकनीकी सहायता हेतु	22.75000	22.75000
2	कार्यालय से संबंधित कार्यों हेतु	0.60000	0.60000
कुल योग		23.35000	23.35000

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैँतीस हजार रु0) मात्र।

3. आवंटित राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैँतीस हजार रु0) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-0001.13.01- कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं0- 48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. तालिका के स्तम्भ- 4 में आवंटित कुल राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैँतीस हजार रु0) मात्र की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा

निर्वाचन कार्य से संबंधित प्राप्त विपत्रों के विरुद्ध BTC-25 में की जाएगी। राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. **क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जाएगा।**
6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
7. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.19 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/निर्वा०-22-01/2017 83 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक- 12.02.19
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

12.02.19
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

विषय:- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक- 225, दिनांक- 29.01.2019 द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने के लिए EVM की जाँच, तकनीकी सहायता, तथा कार्यालय से संबंधित कार्यों पर हुए व्यय संबंधी विपत्रों के भुगतान हेतु कुल ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित कार्यों हेतु स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	कार्य	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	ई०वी०एम० जाँच एवं तकनीकी सहायता हेतु	22.75000	22.75000
2	कार्यालय से संबंधित कार्यों हेतु	0.60000	0.60000
कुल योग		23.35000	23.35000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-0001.13.01- कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०- 48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. तालिका के स्तम्भ- 4 में स्वीकृत कुल राशि ₹23.35000 लाख (तेईस लाख पैंतीस हजार रु०) मात्र की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा निर्वाचन कार्य से संबंधित प्राप्त विपत्रों के विरुद्ध BTC-25 में की जाएगी। राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।
5. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जाएगा।
6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.19 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ निर्वा०-22-01/2017 के पृष्ठ सं०- 26/टि० पर दिनांक- 12.2.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 26/टि० पर दिनांक- 12.2.19 को प्राप्त है।
9. इसकी सूचना सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/निर्वा०-22-01/2017 128 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-13.2.19

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।


सरकार के विशेष सचिव।